Rcms 2019/00389

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... **सहायक कलक्टर** .... मुकाम– .... **डीडवाना** ....

प्रार्थी:– नाथुराम पुत्र दुलाराम, जाति–जाट, निवासी–रिक्शाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण:– गोविन्द पुत्र दुलाराम, जाति–जाट, निवासी–रिक्शाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...**123** ...सन्– ....**2019**..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
18.11.2019	प्रार्थी नाथुराम पुत्र दुलाराम, जाति–जाट, निवासी–रिक्शाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण गोविन्द पुत्र दुलाराम, जाति–जाट, निवासी–रिक्शाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद रिक्शाबास में खसरा संख्या 299, 255, 230, 232, 243, 244, 256 व 298 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनाँक **18.12.2019** को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
18/12/19	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण के सम्मन तामील या अदम तामील [illegible] रिपोर्ट वार नहीं [illegible] हैं। [illegible] पुनः जारी हो। पत्रावली [illegible] तामील के दिनांक [illegible]2/2/20 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 15:30:28 IST
Reason: SelfAttested

18.3.26 पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप.।

वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के सम्मन की Regd-Dak Consignment Report पेश की जिसमें से अप्रार्थी सं. 02 ता 09 व 13 ता 17 के सम्मन तामिलशुदा व अप्रार्थी सं. 01 व 10 ता 12 के सम्मन अदम तामिल प्राप्त हुये हैं जो पत्रावली शामिल रहे।

अप्रार्थी सं. 10 की ओर एबेट के प्रा. पत्र दिनांक 04.09.25 एवं प्रार्थी के वारिसान की ओर से दिनांक 28.10.25 को प्रस्तुत आदेश 22 नियम 03 CPC व धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर उभय पक्षकारान को सुना गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 10 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी का देहान्त आज से करीब चार वर्ष पूर्व अर्थात दिनांक 16.12.2021 को हो चुका है तथा प्रार्थी की मृत्यु हो जाने कारण प्रार्थना पत्र किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है यही कानून की मन्शा है। इस प्रकार एक मात्र प्रार्थी की मृत्यु हो जाने के कारण, प्रार्थना पत्र चलने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। जवाब में प्रार्थी के वारिसान के अधि. ने कथन किया कि प्रार्थी नाथूराम के वारिस भोले-भाले व अनपढ़, खेती करने वाले किसान है जिसके कारण अज्ञानतावश व अनपढ़ होने के कारण कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश करने में देरी हुई। अपीलान्ट के वारिसान के जान बूझकर प्रार्थना पत्र पेश करने में देरी [illegible] है। देरी के लिये क्षमा प्रार्थी है। [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 15:30:28 IST
Reason: SelfAttested

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। उक्त वर्णित दोनों प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन के दौरान पाया गया कि अप्रार्थी सं. 10 के एबेट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात प्रार्थी के वारिसान की ओर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से आदेश 22 नियम 03 CPC का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 10 के एबेट प्रार्थना पत्र ज्ञात हुआ है। प्रार्थी के वारिसान ने प्रार्थना पत्र में देरी का मुख्य कारण प्रार्थीगण का अनपढ काश्तकार होना बताया है। प्रार्थी की मृत्यु हुये करीब 4 वर्ष बीत जाने पश्चात प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश करना कि प्रार्थी अनपढ किसान है स्वीकार्य नहीं है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय को मुगालते में रखकर करीब 4 वर्ष तक वाद को चलाते रहे है जो विधि के अनुरूप नहीं है। अतः न्यायालय अप्रार्थी सं. 10 की ओर से प्रस्तुत एबेट प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतः उपरोक्त विवेचनों के आधार पर अप्रार्थी सं. 10 की ओर से प्रस्तुत एबेट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत O-22 R-03 CPC के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली जरिये एबेट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 15:30:28 IST
Reason: SelfAttested